



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सर्किल/190

27/05/2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यातान्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए 01.06.2025 से आरओडीटीईपी की बहाली के संबंध में

संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 11/2025-26, नई दिल्ली, 26 मई, 2025

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी कार्यालय, नई दिल्ली ने अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यातान्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए 01.06.2025 से आरओडीटीईपी की बहाली को अधिसूचित किया है। 2.

वित्त अधिनियम, 2025 के अनुसार नए संरक्षित एचएस कोड सहित दरें परिशिष्ट 4आरई में उपलब्ध हैं।

इस अधिसूचना का प्रभाव: एए, एसईजेड और ईओयू से निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए आरओडीटीईपी योजना के तहत सहायता 01.06.2025 से बहाल की जाती है।

अधिसूचना का विवरण प्राप्त करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें

<https://www.dgft.gov.in/CP/index.jsp?opt=RoDTEP>

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद और सादर,

भारती पारवे
उप निदेशक – व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद